

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग
जिला अभियंता का कार्यालय
जिला परिषद, नवादा।

निविदा आमंत्रण सूचना संख्या – 01 वर्ष 2026–27

(केवल ई-टेंडर पद्धति के अनुसार वेबसाइट www.eproc2.bihar.gov.in पर)

1. कार्य की विवरणी (योजना/शीर्ष/गद का नाम):- षष्ठम् राज्य वित्त आयोग के विकास निधि का टाईड मद्।

सुप सं०	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (रुपये में)	अग्रधन की राशि (रुपये में)	परिमाण – विपत्र का मूल्य (केवल ऑनलाइन मोड में भुगतान किया जाना है) (अप्रत्यर्पणीय) (रुपये में)	बीड प्रोसेसिंग शुल्क (केवल ऑनलाइन मोड में भुगतान किया जाना है) (अप्रत्यर्पणीय) (रुपये में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि (माह में)
1	2	3	4	5	6	7
01	बस एवं टैक्सी पड़ाव संख्या-03, नवादा में बाउंड्रीबाल, गेट, पी0सी0सी0 एवं डीलक्स शौचालय का निर्माण कार्य।	12989300.00	260000.00	10000.00	As per e-proc2	6 माह

- निविदा आमंत्रण सूचना निर्गत की तिथि : दिनांक – 24.09.2026
- परिमाण विपत्र बिक्री की तिथि एवं समय : दिनांक 21.10.2026 से 28.10.2026 को 3.00 बजे अपराहन तक
(सिर्फ वेबसाइट www.eproc2.bihar.gov.in पर)।
- प्री विड मिटिंग का समय, स्थान एवं तिथि : समय:- 11:30 पूर्वाहन, जिला परिषद कार्यालय, नवादा
दिनांक-24.10.2026
- निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय : दिनांक 29.10.2026 समय 3.00 बजे अपराहन
(सिर्फ वेबसाइट www.eproc2.bihar.gov.in पर)।
- तकनीकी बीड खोलने की तिथि एवं समय : दिनांक 30.10.2026 समय 3.30 बजे अपराहन
(कंडिका 4 में उल्लेखित अंतिम तिथि से एक कार्य दिवस के पश्चात् की तिथि)।
(सिर्फ वेबसाइट www.eproc2.bihar.gov.in पर)
- वित्तीय बीड खोलने की तिथि एवं समय : तकनीकी बीड मूल्यांकन के उपरांत।
(सिर्फ वेबसाइट www.eproc2.bihar.gov.in पर)
- निविदा खोलने का स्थान : सिर्फ वेबसाइट www.eproc2.bihar.gov.in पर
- निविदा की वैधता अवधि : 120 दिन
- ई-टेंडरिंग की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु संवेदकों को eproc-2 के साथ निबंधन कराना होगा, वेबसाइट पर आवश्यक निबंधन प्रपत्र उपलब्ध है। इस निबंधन से उन्हें User ID तथा Password मिलेगा। संवेदकों को DSC (Digital Signature Certificates) भी प्राप्त करना होगा। User ID, Password, DSC एवं इन्टरनेट के उपयोग से ही संवेदक ई-निविदा में भाग ले सकेंगे।
- निविदा केवल ई-निविदा पद्धति के अनुसार वेबसाइट www.eproc2.bihar.gov.in पर निष्पादित किया जाएगा। ई-निविदा प्रक्रिया से संबंधित जानकारी ई-मेल आई0डी0-eproc2support@bihar.gov.in, Working Hours 8:00 am to 7:00 pm से प्राप्त किया जा सकता है। ई-निविदा प्रक्रिया से संबंधित

12. निविदादाताओं को सिर्फ वेबसाइट पर ही निविदा कागजात प्राप्त (डाउनलोड) एवं जमा (अपलोड) करना होगा। सुनिश्चित जगहों पर भरे गये विहित प्रपत्रों को एवं आवश्यक कागजातों को समर्पित करना होगा। निविदा खुलने की जानकारी तथा निविदा संबंधित किसी भी प्रकार के शुद्धि पत्र की जानकारी वेबसाइट से प्राप्त होगी। विस्तृत जानकारी एवं शर्तों के लिए वेबसाइट www.eproc2.bihar.gov.in देखा जा सकता है।
13. बिहार सरकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार ठेकेदारी निबंधन नियमावली 2007 (संशोधित) एवं बिहार लोक निर्माण संहिता के संशोधित नियम 159 (ख) के अन्तर्गत 25 लाख से अधिक तथा 200 लाख से कम राशि की योजनाओं के निर्माण कार्यों के लिए पथ निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/बिहार राज्य पुल निर्माण निगम/बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम में समुचित श्रेणी में निबंधित संवेदकों से निविदा आमंत्रित की जाती है।
14. (i) e-proc 2.0 प्रणाली के तहत मात्र online विधि से समर्पित EMD (अग्रधन की राशि) ही स्वीकार किये जायेंगे यदि किसी निविदाकार के द्वारा भौतिक रूप से EMD जमा किया जाना आवश्यक हो तो मात्र B.G (Bank Guarantee) ही स्वीकार किया जायेगा, संवेदक निविदा कागजात के साथ B.G को Scan कर अपलोड करेंगे तथा B.G भौतिक रूप से संबंधित कार्यालय में आवश्यकतानुसार जमा करेंगे। e-proc2.0 में परिमाण विपत्र की राशि Internet Payment Gateway/Challan के माध्यम से ही लिया जाना है। अगर अग्रधन की राशि B.G. के रूप में दी जाती है तो B.G. जिला अभियंता, जिला परिषद, नवादा के नाम से भारतीय Schedule बैंक से निर्गत होना आवश्यक है (BG का निर्गमन तिथि निविदा प्रकाशन के बाद की होनी चाहिए), इस प्रणाली के तहत बैंक गारंटी के ऑनलाईन सत्यापन की व्यवस्था होगी।
- (ii) बिहार सरकार, पथ निर्माण विभाग, पटना के कार्यालय आदेश सं० 07 दिनांक 10.01.2024 के अनुसार निविदा से संबंधित सभी कागजात केवल ऑनलाईन के माध्यम से स्वीकार किये जायेंगे। निविदा में भाग लेने हेतु किसी भी कागजात की हार्ड कॉपी जमा करना आवश्यक नहीं होगा। निविदा में सफल निविदाकार को आवश्यक कागजात जैसे- सभी शपथ पत्र (मूल में) बैंक गारंटी (मूल में) एकरारनामा के पूर्व जमा करना अनिवार्य होगा।
- (iii) संवेदक द्वारा जमा किये गये अग्रधन की राशि पर किसी प्रकार का सूद विभाग द्वारा देय नहीं होगा।
- (iv) बीड प्रोसेसिंग शुल्क ऑनलाईन मोड यानि इन्टरनेट भुगतान गेटवे (क्रेडिट/डेबिट कार्ड), नेट बैंकिंग, एन ई एफ टी/आर टी जी एस के माध्यम से भुगतान किया जाना अनिवार्य है। आवश्यक ऑनलाईन भुगतान के साथ बीड, इस निविदा आमंत्रण सूचना में उल्लेखित तिथि एवं समय से पहले, ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल www.eproc2.bihar.gov.in पर अपलोड किया जाना आवश्यक है। इन्टरनेट कनेक्शन, नेटवर्क ट्रैफिक/अवकाश (छुट्टियाँ) या अन्य किसी भी कारण से हुए विलम्ब/निविदा सबमिट (Submit) नहीं होने/ऑनलाईन के रीकनसिलिएशन (Reconciliation) नहीं होने की स्थिति के लिए विभाग की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी।
("Bid Processing Fee is mandatory to be paid through online mode i.e. Internet payment gateway (Credit/Debit Card), Net banking, NEFT/RTGS."
"Bids along with necessary online payments must be submitted through e-Procurement portal www.eproc2.bihar.gov.in before the date and time specified in the NIT. The department doesn't take any responsibility for the delay/Non Submission of Tender/Non Reconciliation of online Payment caused due to Non-availability of Internet Connection, Network Traffic/Holidays or any other reason.")
15. संवेदक स्कैन कर कागजातों को अपलोड करने के पूर्व सूचीबद्ध करते हुए क्रमांक अंकित करेंगे ताकि किसी खास कागजात को क्रमांक संख्या/पृष्ठ संख्या के आधार पर शीघ्र खोजा जा सके। सभी

अभिलेख पीडीएफ (Pdf), एमएस ऑफिस (MS Office), कम्पैटिबिलिटी मोड (Compatibility Mode), जेपीईजी फॉरमेट (JPEG Format) में ही अपलोड (Upload) किये जाए, अन्य फारमेट (Format) में अपलोड डॉक्यूमेंट्स (Upload Documents) के डाउनलोड/ओपन (Download/open) नहीं होने पर कोई दावा मान्य नहीं होगा।

16. संवेदक स्कैन कर अपलोड किए गये कागजातों की डाउनलोडेबिलिटी/विजिबिलिटी (Downloadability/visibility) से पूर्ण रूपेण संतुष्ट हो लेंगे।
17. इन्टरनेट सेवा में किसी प्रकार की त्रुटि होने के संबंध का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। अतः संवेदकों को चाहिए कि अंतिम सगम्य के पूर्व ही कठिनाइयों से बचने हेतु बीड को अपलोड कर लें।
18. बीड प्राप्त करने की अंतिम निर्धारित तिथि को 12.00 बजे रात्रि से निविदा डालने के निर्धारित समय के पूर्व यदि www.eproc2.bihar.gov.in का लगातार 2 घंटे से अधिक समय के लिए सर्वर डाउन होने की स्थिति में निविदा डालने की तिथि स्वतः अगले दिन के लिए निर्धारित समय तक विस्तारित हो जाएगी।
19. किसी भी प्रकार का शुद्धि-पत्र को वेबसाईट पर प्रकाशित किया जायेगा। अधोहस्ताक्षरी को बिना पूर्व सूचना के एवं बिना कारण बताए निविदा रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
20. संवेदको को कार्य स्थल, प्राक्कलन, वचैरी स्थल एवं सामग्री स्थल इत्यादि की स्थिति, निर्माण सामग्रियों की उपलब्धता की स्थिति से पूर्णरूपेण संतुष्ट होने के पश्चात् ही निविदा में भाग लेने का परामर्श दिया जाता है। इस संबंध में बाद में किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।
21. (i) राज्य सरकार के किसी विभाग या संस्थान में किसी भी श्रेणी में काली सूची में डाले गये अथवा कार्यों से वंचित (debarred) संवेदक इस निविदा में भाग लेने के योग्य नहीं होंगे।
(ii) निविदा सूचना की अन्य सभी शर्तों को पूरा करने के बावजूद, कोई संवेदक निविदा में भाग लेने के योग्य नहीं होंगे यदि :-
(क) संवेदक के द्वारा किसी निर्धारित प्रपत्र, विवरणी, शपथ पत्र या योग्यता प्रमाण पत्र के रूप में समर्पित किसी कागजात या दस्तावेज में गलत या गमराह करने वाला तथ्य समर्पित किया गया हो।
(ख) किसी संवेदक का कार्य निष्पादन का रिकॉर्ड (Record) खराब रहा हो अर्थात्, उन्होंने आवंटित कार्य को अधूरा छोड़ दिया हो, संविदा की शर्तों के अनुसार कार्य सम्यक रूप से पूरा नहीं किया हो, पूर्व से आवंटित किसी कार्य को पूरा करने में गंभीर विलम्ब किया हो, विवाद का इतिहास हो, वित्तीय अक्षमता सिद्ध हुई हो।
(iii) पार्टनरशीप डीड में अंकित कोई पार्टनर, कम्पनी के प्रबंध निदेशक, सहयोग समिति एवं निबंधित संस्थाओं के पदधारक या इन पदों पर कार्य करने वाले पदधारक पूर्व में ब्लैक लिस्टेड है तो वह फर्म/कम्पनी/सहयोग समिति/निबंधित संस्था निविदा में भाग लेने का पात्र नहीं होगी।
22. निविदा दर प्रस्ताव के साथ तकनीकी बीड में एक पृथक पृष्ठ (चेकलिस्ट) पर निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों/वांछित सूचनाओं पृष्ठ संख्या के साथ अंकित करते हुए अपलोड (UPLOAD) किया जाना है।
(i) **अग्रधन**
वेबसाईट पर टेंडर में निविदा प्रपत्र उपलब्ध है। ई-निविदा प्रपत्र में दर्शाये गये स्वरूप में ही अग्रधन की राशि स्वीकार होगी।
(ii) 25 लाख से अधिक तथा 200 लाख से कम राशि की योजनाओं के निर्माण कार्यों के लिए पथ निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/बिहार राज्य पुल निर्माण निगम/बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम में समुचित श्रेणी में निर्गत निबंधन प्रमाण-पत्र की छाया प्रति।
(iii) साझेदारी फर्म/कम्पनी के मामले में डीड एवं आर्टिकल्स ऑफ एसोसियेशन की छाया प्रति।
(iv) पैन कार्ड की छाया प्रति।
(v) जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत आचरण प्रमाण-पत्र की छाया प्रति।
(vi) **GST निबंधन प्रमाण-पत्र की छाया प्रति।**

- (vii) संवेदक को बीड अमाउन्ट (Bid Amount) का कम से कम 25% इन्वेस्ट (invest) करने का शपथ पत्र/घोषणा पत्र।
- (viii) संवेदक के अधीन चल रहे कार्यों एवं लम्बित कार्यों की राशि सहित सूची। यदि कोई कार्य चल रहा हो अथवा कोई कार्य लम्बित नहीं हो तो इस आशय का शपथ पत्र/घोषणा पत्र।
- (ix) घोषणा का शपथ पत्र :-
 "मैं अद्योहस्ताक्षरी (साफ-साफ बड़े अक्षरों में नाम) सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी श्री शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि :-
 (क) मेरे/हमारे विरुद्ध किसी प्रकार का अपराधिक मामला किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।
 (ख) मुझे/हमें किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी प्रतिष्ठान द्वारा डिबार (Debar), ब्लैकलिस्टेड (Blacklisted) अथवा विगत एक वित्तीय वर्ष के अन्दर रिसाइन्ड (Rescind) नहीं किया गया है।
 (ग) मेरा/हमारा कोई निकटतम संबंधी (अभिप्रेत है पति/पत्नी, माता/पिता, भाई/बहन तथा इस तरह के ससुराल पक्ष के संबंधी) संबंधित कार्य प्रमंडल में कनीय अभियंता/सहायक अभियंता/जिला अभियंता के रूप में कार्यरत नहीं है।
 (घ) निविदा में संलग्न सभी प्रमाण-पत्र, कागजात, विवरणी सत्य हैं।
 उपर्युक्त कंडिका 'क', 'ख' एवं 'ग' में गलत सूचना देने का दोषी पाये जाने अथवा कंडिका 'घ' में से कोई अभिलेख असत्य, नकली, जाली पाये जाने पर सक्षम प्राधिकार, मेरे/हमारे ऊपर विधि सम्मत दण्ड, मेरे/हमारे निबंधन को काली सूची में दर्ज करने, प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होंगे।"
 (x) समय सीमा के अन्दर पूर्ण कराये गये कार्यों का कार्यपालक अभियंता के स्तर से निर्गत प्रमाण-पत्र की छाया प्रति।
 (xi) कार्यपालक अभियंता का पूर्ण ब्योरा जिसमें योग्यता प्राप्त अभियंताओं का संबंधित क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव व पर्याप्त संख्या में तकनीकी सुपरवाइजरी स्टाफ की पूर्ण विवरणी के साथ संवेदक (नियोजनकर्ता) तथा नियोजित अभियंता का प्रति शपथ-पत्र एवं नियोजित अभियंता के शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र की छाया प्रति।
 (xii) कार्य में प्रयुक्त होने वाले यंत्र-संयंत्र एवं गुणवत्ता उपकरणों का स्वामित्व प्रमाण पत्र अथवा संवेदक द्वारा किसी अन्य व्यक्ति/फर्म से यंत्र-संयंत्र एवं गुणवत्ता उपकरणों के उपलब्ध कराने का शपथ-पत्र एवं जिस व्यक्ति/फर्म जिससे यंत्र-संयंत्र एवं गुणवत्ता उपकरण प्राप्त किया जा रहा हो का प्रति-शपथ-पत्र तथा उसके अधीन यंत्र-संयंत्र एवं गुणवत्ता उपकरणों का स्वामित्व प्रमाण-पत्र की छाया प्रति।
 (xiii) समरूप कार्य/असैनिक कार्य का कार्यपालक अभियंता स्तर से निर्गत अनुभव प्रमाण-पत्र की छाया प्रति।
 (xiv) विगत पाँच वर्षों में से किन्ही तीन वर्ष का चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (Chartered Accountant) द्वारा ऑडिटेड वार्षिक टर्न ओवर UDIN सहित (w.e.f 1 जुलाई 2019) की छाया प्रति।

23.

प्रतिशत दर निविदा

- (क) कार्य के परिमाण विषय की राशि से प्रतिशत के रूप में अधिक, बराबर या कम दर (अंक एवं शब्दों में) अंकित किया जाए।
- (ख) अतिरिक्त परफॉरमेंस गारंटी (Additional Performance Guarantee)
 माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा CWJC No. 9941/2022 बिहार संवेदक संघ बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में दिनांक 06.07.2023 को सुनवाई के उपरान्त पारित न्यायादेश में वादी द्वारा दायर Writ याचिका को Dismissed कर दिया गया है। पथ निर्माण विभाग, बिहार के अधिसूचना सं0 447 (S) सह पठित ज्ञापक सं0 448 (S) दिनांक 16.01.2020 में निहित शर्त इस निविदा में प्रभावी होंगे। सिडयूल दर से कम दर उद्धृत करने पर अतिरिक्त जमानत की राशि निम्नलिखित तरीके से प्राप्त किया जायेगा।
 (i) परिमाण विषय की दर से 0 से 5 प्रतिशत कम उद्धृत दर :- 0.25 प्रतिशत अतिरिक्त परफॉरमेंस गारंटी (Additional Performance Guarantee) प्रति एक प्रतिशत।

- (ii) परिमाण विपत्र की दर से 5 से 15 प्रतिशत कम उद्धृत दर :- 0.5 प्रतिशत अतिरिक्त परफॉरमेंस गारंटी (Additional Performance Guarantee) प्रति एक प्रतिशत।
- (iii) परिमाण विपत्र की दर से 15 से 20 प्रतिशत कम उद्धृत दर :- 1 प्रतिशत अतिरिक्त परफॉरमेंस गारंटी (Additional Performance Guarantee) प्रति एक प्रतिशत।
- (iv) परिमाण विपत्र की दर से 20 प्रतिशत से उपर कम उद्धृत दर :- 2 प्रतिशत अतिरिक्त परफॉरमेंस गारंटी (Additional Performance Guarantee) प्रति एक प्रतिशत।

उदाहरण स्वरूप :-

- (a) 3 प्रतिशत कम दर के लिए अतिरिक्त परफॉरमेंस गारंटी (Additional Performance Guarantee):- 3×0.25 अर्थात् 0.75 प्रतिशत।
- (b) 7 प्रतिशत कम दर के लिए अतिरिक्त परफॉरमेंस गारंटी (Additional Performance Guarantee):- $5 \times 0.25 + 2 \times 0.5 = 2.25$ प्रतिशत
- (c) परिमाण विपत्र से 10 प्रतिशत कम उद्धृत दर के लिए $5 \times 0.25 + 5 \times 0.5 = 3.75$ प्रतिशत

24. सिर्फ तकनीकी बीड उपर्युक्त कंडिका 5 में उल्लेखित तिथि एवं समय पर खोला जायेगा। तकनीकी बीड का मूल्यांकन निर्धारित अंक तालिका के आधार पर किया जायेगा एवं तदनुरूप तकनीकी बीड में योग्य पाये जाने वाले संवेदक/संवेदकों का ही वित्तीय बीड खोला जायेगा।
25. तकनीकी बीड के मूल्यांकन में उसी यंत्र-संयंत्र एवं गुणवत्ता उपकरणों के विरुद्ध अंक दिया जायेगा जो जिला अभियंता/पथ निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/बिहार राज्य पुल निर्माण निगम/बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के जिला अभियंता स्तर के पदाधिकारी से निविदा तिथि के छः माह पूर्व की अवधि में भौतिक रूप में सत्यापित होंगे। ऐसी स्थिति नहीं होने पर यंत्र संयंत्र (गुण नियंत्रण प्रयोगशाला उपकरणों के साथ) का सत्यापन निविदा प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्तर्गत जिला अभियंता द्वारा संवेदक को सूचना देकर करना होगा। सूचना देने के बाद भी जो संवेदक भौतिक सत्यापन में सहयोग नहीं करेंगे उनकी मशीनों/उपकरणों के विरुद्ध कोई अंक नहीं दिया जायेगा और यह माना जायेगा कि मशीन/उपकरण उनके पास उपलब्ध नहीं है।
26. निविदा निष्पादन
- (i) उपर्युक्त कंडिका 21 के (i) से (xiv) में से कोई कागजात अपलोड (Up-load) नहीं करने एवं निर्धारित अवधि तक जमा नहीं करने की स्थिति में उनके तकनीकी बीड पर विचार नहीं किया जायेगा।
- (ii) जिला अभियंता की अध्यक्षता में गठित निविदा समिति द्वारा (निविदा निष्पादन की प्रदत्त शक्ति के अन्तर्गत) अंक तालिका के आधार पर जाँचोपरान्त तकनीकी बीड का मूल्यांकन किया जायेगा। मूल्यांकन में न्यूनतम अर्हता प्राप्तांक 60 प्रतिशत निर्धारित है। इससे कम अंक प्राप्त करने वाले संवेदकों के वित्तीय बीड पर विचार नहीं किया जायेगा।
- (v) तकनीकी बीड में सफल संवेदक/संवेदकों का वित्तीय बीड खोला जायेगा। जिसके लिए तिथि एवं समय की सूचना दी जायेगी।
- (vi) वित्तीय बीड खोलने के उपरान्त सफल न्यूनतम दरदाता संवेदक की निविदा आवश्यकतानुसार दर वार्ता के उपरान्त स्वीकार की जायेगी।
- (vi) निविदा में सफल एकाधिक संवेदकों से उद्धृत दर समान होने पर लॉटरी (ड्रॉ ऑफ लॉटस) के आधार पर चयनित संवेदक के साथ ही आवश्यकतानुसार दर-प्रक्रमण (दर वार्ता) किया जायेगा एवं नियमानुसार कार्य आवंटित किया जायेगा।
27. एकरारनामा
- (i) रुपये 25 लाख से रुपये 200 लाख तक की निविदा में सफल संवेदक को कार्य आवंटन की तिथि से 10 दिनों के अन्दर लोक निर्माण संहिता के प्रपत्र एफ-2 (कंडिका-23 विलोपित) पर एकरारनामा कर कार्य प्रारम्भ करना होगा।
- (ii) एकरारनामा करने के उपरान्त मासिक कार्य योजना समर्पित करना होगा।

- (iii) अविलम्ब कार्यस्थल पर कार्य से संबंधित सूचना पट्ट उसके आकार प्रकार एवं उसमें भरे जाने वाले विवरण के संबंध में कार्य के प्रगती अभियन्ता के निर्देशों का पालन करना होगा।
- (iv) एकरारनामा करने के समय पर संबंधित कार्यपालक अभियन्ता अद्यतन श्रम विभाग निबंधन प्रमाण- पत्र की छायाप्रति प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे।

28.

भुगतान की प्रक्रिया

- (i) कार्य प्रारंभ के पूर्व, कार्य के दौरान यथा प्रत्येक विपत्र के साथ तथा कार्य समाप्ति के उपरान्त, संबंधित कार्य स्थल की फोटोग्राफी/विडियोग्राफी संवेदक को स्वयं करानी होगी एवं उसकी सी०डी० संबंधित सहायक अभियन्ता के माध्यम से प्रगंडल में जमा करानी होगी जिसे निर्धारित वेवसाइट पर प्रत्येक विपत्र के समय अपलोड किया जायेगा अन्यथा इसके अभाव में कार्य का भुगतान रोक दिया जा सकता है।
- (ii) आवंटन उपलब्ध होने पर ही भुगतान किया जायेगा। इस मद में कोई दावा या ब्याज इत्यादि अनुमान्य नहीं होगा।
- (iii) आवंटन उपलब्ध रहने पर विशिष्टियों के अनुरूप कृत कार्य का भुगतान निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक माह में कम-से-कम एक बार निश्चित रूप से करेंगे।

29.

अन्य शर्तें

- (i) निविदा में निर्धारित अवधि के अन्तर्गत ही कार्य को पूरा करना होगा। विशेष परिस्थिति को छोड़कर, अवधि विस्तार की स्वीकृति नहीं दी जायेगी।
- (ii) संवेदक के विपत्र से अन्य आवश्यक कटौतियों के अतिरिक्त 1% (एक प्रतिशत) सेस की राशि भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड मद हेतु कटौती की जायेगी।
- (iii) संवेदक को आवंटित कार्य से संबंधित आवश्यकतानुसार सभी यंत्र-सयंत्रों, गुण-नियंत्रण उपकरणों की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। जिसके लिए किसी प्रकार का अग्रिम देय नहीं होगा।
- (iv) कार्यों में प्रयुक्त होने वाले 80/100 ग्रेड पैक्ड बिटुमेन (समकक्ष विस्कोस्टी ग्रेड के) अथवा सामग्री जो लागू हो के क्रय एवं आपूर्ति की व्यवस्था संवेदक को स्वयं अपनी लागत पर करनी होगी, जिसके लिए उन्हें विभाग से किसी प्रकार का अग्रिम देय नहीं होगा। बिटुमेन का क्रय केवल राष्ट्रीयकृत तेल कम्पनीयों से ही करना होगा तथा बिटुमेन क्रय के 48 घण्टों के अंदर कैश मेमो संबंधित सहायक अभियन्ता के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अधोहस्ताक्षरी को भी सूचित करना होगा।
- (v) दस्तावेजों की मूल प्रति को सक्षम पदाधिकारी, द्वारा मांगने पर प्रस्तुत करना होगा।
- (vi) ओवर हेड मद के अंतर्गत होने वाले व्यय यथा गुण नियंत्रण, गोदाम निर्माण-सह-स्थल-कार्यालय का निर्माण, बिजली, पानी, पर्यवेक्षण हेतु वाहन एवं GST इत्यादि का वहन संवेदक द्वारा ही किया जाएगा।
- (vii) अनुमानित राशि घट-बढ़ सकती है तथा कार्य स्थल के अनुसार निरूपण में परिवर्तन किया जा सकता है। अनुगोदित परिमाण विपत्र के अनुरूप परिमाण विपत्र का मूल्य एवं अग्रधन की राशि देय होगी।
- (viii) दर के संबंध में और कोई दावा मान्य नहीं होगा।
- (ix) सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
- (x) सक्षम प्राधिकार को बिना कोई कारण बताये निविदा के सभी/किन्ही कार्यों को या किसी कार्य के किन्ही अंश/अंशों को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
- (xi) संवेदकों को कार्य समाप्ति के पश्चात तीन वर्षों तक त्रुटियों के निराकरण की जिम्मेदारी होगी। इसके लिए विभाग द्वारा अलग से कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।

यह निविदा आगंत्रण सूचना एवं परिमाण विपत्र के साथ निर्गत विशेष शर्त भी एकरारनामा का अंग होगा।

५-१६
२५/१२/२०२२
जिला अभियन्ता
जिला परिषद, नवादा।

ज्ञापांक - 1075 / जि०परि०, नवादा, दिनांक- 24.09.2026

प्रतिलिपि:-

निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ हेतु प्रेषित।

4-11-26

जिला अभियंता

जिला परिषद, नवादा।

ज्ञापांक - 1075 / जि०परि०, नवादा, दिनांक- 24.09.2026

प्रतिलिपि:-

अधीक्षक अभियन्ता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य अंचल, गया को सूचनार्थ समर्पित।

4-11-26

जिला अभियंता

जिला परिषद, नवादा।

ज्ञापांक - 1075 / जि०परि०, नवादा, दिनांक- 24.09.2026

प्रतिलिपि:-

अपर मुख्य, कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, नवादा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

4-11-26

जिला अभियंता

जिला परिषद, नवादा।

ज्ञापांक - 1075 / जि०परि०, नवादा, दिनांक- 24.09.2026

प्रतिलिपि:-

अध्यक्षा, जिला परिषद, नवादा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

4-11-26

जिला अभियंता

जिला परिषद, नवादा।

ज्ञापांक - 1075 / जि०परि०, नवादा, दिनांक- 24.09.2026

प्रतिलिपि:-

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, नवादा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

4-11-26

जिला अभियंता

जिला परिषद, नवादा।

ज्ञापांक - 1075 / जि०परि०, नवादा, दिनांक- 24.09.2026

प्रतिलिपि:-

जिला पदाधिकारी, नवादा एवं आरक्षी अधीक्षक, नवादा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

4-11-26

जिला अभियंता

जिला परिषद, नवादा।

ज्ञापांक - 1075 / जि०परि०, नवादा, दिनांक- 24.09.2026

प्रतिलिपि:-

सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

4-11-26

जिला अभियंता

जिला परिषद, नवादा।